Rules and Regulations – Issued by EAS RWA

1. **Entry of Vehicles**
   No two-wheeler or four-wheeler is allowed entry into the society premises without a valid EAS sticker or RFID card issued by the RWA.

2. **Interaction with Security Guards**
   Residents and visitors are strictly advised not to argue or force security personnel to allow entry without a valid sticker or RFID. Any such behavior will be considered misconduct and may lead to police involvement (Dial 112), followed by immediate action including flat evacuation in the case of tenants or their associates.

3. **Rule Violation by Forceful Entry**
   Any attempt to forcibly enter the society premises with a vehicle without valid authorization will be treated as a serious violation. Security personnel are authorized to call the police (112) and initiate action against such anti-social behavior.

4. **Contacting RWA Members for Vehicle Entry**
   Residents are strictly advised not to contact or pressure RWA members to permit vehicle entry without a valid EAS sticker or RFID. All residents and visitors are expected to adhere to the established rules without exception.

5. **Temporary Vehicle Entry and Liability for Unauthorized Parking**
   Requests for temporary vehicle entry—such as for dropping off passengers or loading/unloading luggage—must be honored within the committed 5–10 minute window. Failure to return or move the vehicle within this time will be treated as a violation and may result in a penalty. If the vehicle remains parked in the common area beyond the permitted duration, it will be entirely at the owner's risk. The RWA holds no responsibility for its safety, and any loss or damage will be solely the liability of the vehicle owner.

6. **Smoking and Alcohol Consumption**
   Smoking or consumption of alcohol is strictly prohibited in all common and parking areas of the society. A fine of ₹1,000 will be imposed for violations. Tenants found in violation may also face immediate eviction.

7. **Shifting and Exit Charges (Tenants)**

   - **Shifting Charges:** ₹2,250 for 3 BHK, ₹2,000 for 2 BHK, ₹1,500 for 1 BHK/Studio flats, payable at the time of shifting in.

   - **Exit Charges:** ₹1,000 for 2 BHK/3 BHK, ₹500 for 1 BHK/Studio flats, payable at the time of vacating.

8. **Mandatory Documents for Tenants**
   Before moving in, all tenants must submit the following:

   - Police verification certificate for all residents
   - Copy of rent agreement
   - Aadhaar ID
   - Company ID (if employed)
   - Duly filled tenant information form

9. **Welcome Charges (Flat Owners)**
   A one-time welcome fee of ₹5,000 is applicable for all new flat owners, irrespective of flat type (Studio, 1 BHK, 2 BHK, or 3 BHK).

10. **Parking in Common Areas**
    Parking in common areas is strictly prohibited unless prior approval is obtained from the RWA or in case of emergencies.

11. **Broker Compliance**
    All property brokers must submit the required documentation to the Maintenance Office as directed by the RWA. A soft copy must also be emailed to **eastavenue202@gmail.com**.

12. **Noise and Music Restrictions**
    Playing loud music after 10:30 PM within flats is strictly prohibited.

13. **Limit on Social Gatherings by Tenants**
    Tenants are advised to refrain from hosting frequent social gatherings or parties. Repeated violations may lead to eviction without further notice.

14. **Vacating Procedure for Tenants**
    While vacating, tenants must provide a No Objection Certificate (NOC) from the flat owner, society shop, and the maintenance office. The NOC should be emailed to **eastavenue202@gmail.com**.

15. **Time Restriction for Shifting**
    No luggage movement is permitted within or outside the society after 7:00 PM.

16. **Occupancy Limits**

- **Studio/1 BHK:** Maximum 2 residents
- **2 BHK:** Maximum 4 residents
- **3 BHK:** Maximum 5 residents

17. **Vehicle Limits for Tenants**

- **Studio/1 BHK Tenants:** Only 1 two-wheeler (bike/scooter) allowed
- **2 BHK/3 BHK Tenants:** Only 1 small car and 1 two-wheeler allowed

18. **Parking Restrictions for Certain Flats**
    Tenants living in Studio/1 BHK or above the 4th floor are not eligible for car parking within the society premises.

19. **Prohibition of Fights and Misconduct**
    Any form of physical or verbal altercation within the society by tenants will result in immediate eviction.

20. **Live-in Relationship Clause**
    Tenants in a live-in relationship must provide a valid live-in relationship certificate issued by the Government or written confirmation from parents. Otherwise, such arrangements will not be permitted.

21. **Disposal of Renovation Waste Material**

The disposal of wooden, concrete, or any other waste material generated from flat renovations into the common areas of the society is strictly prohibited and will be subject to a penalty. It is the sole responsibility of the respective residents to arrange for proper disposal of such materials. EAS RWA will not be held responsible for any uncleanliness or inconvenience caused due to such violations.

22. **Compliance with Future Rules**
    Tenants and owners are required to comply with all existing and future regulations issued by the EAS RWA. Non-compliance by tenants will result in a one-week notice for eviction from the society. In cases of non-compliance by owners, strict legal action will be initiated, including the filing of formal complaints with the appropriate authorities.

By the order of
EAS RWA, Sector 73, Noida

नियम और विनियम – जारीकर्ता: EAS RWA

1. **वाहनों की एंट्री**
   कोई भी दोपहिया या चारपहिया वाहन बिना वैध EAS स्टिकर या RFID कार्ड के सोसाइटी में प्रवेश नहीं कर सकता।

2. **सुरक्षा गार्ड्स से व्यवहार**
   रहवासियों और आगंतुकों से अनुरोध है कि वे वैध स्टिकर या RFID के बिना प्रवेश के लिए सुरक्षा गार्ड्स से बहस न करें और ना ही दबाव डालें। ऐसा कोई भी व्यवहार दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएगा और इसमें पुलिस को (112 डायल कर) शामिल किया जा सकता है, जिससे किरायेदारों या उनके परिचितों को फ्लैट खाली करना पड़ सकता है।

3. **जबरन प्रवेश का उल्लंघन**
   यदि कोई व्यक्ति वाहन के साथ जबरन सोसाइटी में प्रवेश करता है, तो इसे गंभीर नियम उल्लंघन माना जाएगा। सुरक्षा गार्ड्स को ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को (112) सूचित करने का अधिकार है।

4. **वाहन प्रवेश के लिए आरडब्ल्यूए सदस्यों से संपर्क**
   निवासियों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि वे वैध ईएएस स्टिकर या RFID के बिना वाहन प्रवेश की अनुमति के लिए आरडब्ल्यूए सदस्यों से संपर्क न करें और न ही उन पर दबाव बनाएं। सभी निवासी और आगंतुक निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन करें।
5. **अस्थायी वाहन प्रवेश और अनधिकृत पार्किंग की जिम्मेदारी**
   यदि किसी वाहन को अस्थायी रूप से प्रवेश की अनुमति दी जाती है—जैसे कि सामान उतारना/चढ़ाना या किसी व्यक्ति को छोड़ना—तो वह 5 से 10 मिनट के भीतर परिसर से बाहर निकल जाना चाहिए। तय समय सीमा का उल्लंघन नियमभंग माना जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि ऐसा वाहन सामान्य क्षेत्र में निर्धारित समय से अधिक खड़ा पाया जाता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए आरडब्ल्यूए जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन से संबंधित किसी भी क्षति या घटना की पूरी जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
6. **धूम्रपान और शराब सेवन**
   सामान्य क्षेत्रों और पार्किंग एरिया में धूम्रपान या शराब का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उल्लंघन की

स्थिति में ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और किरायेदारों को तत्काल फ्लैट खाली करना पड़ सकता है।

7. **शिफ्टिंग और एक्ज़िट चार्जेस (किरायेदारों के लिए)**
   • शिफ्टिंग चार्ज: 3 BHK – ₹2,250, 2 BHK – ₹2,000, 1 BHK/स्टूडियो – ₹1,500 (शिफ्टिंग के समय देय)
   • एक्ज़िट चार्ज: 2 BHK/3 BHK – ₹1,000, 1 BHK/स्टूडियो – ₹500 (फ्लैट खाली करते समय देय)

8. **किरायेदारों के लिए आवश्यक दस्तावेज**
   शिफ्टिंग से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है:
   • सभी निवासियों का पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र
   • किरायानामा की प्रति
   • आधार कार्ड
   • कंपनी आईडी (यदि लागू हो)
   • पूरी तरह से भरा हुआ किरायेदार सूचना फॉर्म

9. **वेलकम चार्ज (फ्लैट मालिकों के लिए)**
   फ्लैट का स्वामित्व लेने वाले प्रत्येक नए मालिक को ₹5,000 का एकमुश्त वेलकम चार्ज देना अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी प्रकार का फ्लैट (स्टूडियो, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK) हो।

10. **कॉमन एरिया में पार्किंग प्रतिबंध**
    बिना पूर्व RWA की अनुमति या आपात स्थिति के अतिरिक्त, सामान्य क्षेत्रों में किसी भी वाहन की पार्किंग की अनुमति नहीं है।

11. **ब्रोकर की अनुपालन जिम्मेदारी**
    सभी प्रॉपर्टी ब्रोकरों को आवश्यक दस्तावेज़ मेंटेनेंस ऑफिस में जमा करने होंगे और उनकी सॉफ्ट कॉपी eastavenue202@gmail.com पर ईमेल करनी होगी।

12. **शोरगुल और संगीत पर रोक**
    रात 10:30 बजे के बाद फ्लैट्स में तेज़ आवाज़ में संगीत बजाना प्रतिबंधित है।

13. **किरायेदारों द्वारा सामाजिक आयोजनों की सीमा**
    किरायेदारों को बार-बार सामाजिक आयोजनों या पार्टियों से परहेज़ करने की सलाह दी जाती है। बार-बार उल्लंघन होने पर फ्लैट तत्काल खाली करने की कार्रवाई की जाएगी।

14. **किरायेदारों के लिए फ्लैट खाली करने की प्रक्रिया**
    फ्लैट खाली करते समय किरायेदार को फ्लैट मालिक, सोसाइटी की दुकान और मेंटेनेंस ऑफिस से NOC लेना आवश्यक है। यह NOC eastavenue202@gmail.com पर ईमेल करना होगा।

15. **शिफ्टिंग का समय प्रतिबंध**
    शाम 7:00 बजे के बाद सोसाइटी के अंदर या बाहर कोई भी सामान लाने-ले जाने की अनुमति नहीं है।

16. **रहवासियों की अधिकतम सीमा**
    • स्टूडियो/1 BHK – अधिकतम 2 निवासी
    • 2 BHK – अधिकतम 4 निवासी
    • 3 BHK – अधिकतम 5 निवासी

17. **किरायेदारों के लिए वाहन सीमा**
    • स्टूडियो/1 BHK – केवल 1 दोपहिया वाहन (बाइक/स्कूटी)
    • 2 BHK/3 BHK – केवल 1 छोटा चारपहिया वाहन और 1 दोपहिया वाहन

18. **कुछ फ्लैट्स के लिए पार्किंग प्रतिबंध**
स्टूडियो/1 BHK या चौथी मंज़िल से ऊपर रहने वाले किरायेदारों को कार पार्किंग की अनुमति नहीं है।

19. **लड़ाई और दुर्व्यवहार पर रोक**
सोसाइटी में किसी भी प्रकार की शारीरिक या मौखिक लड़ाई को गंभीर अपराध माना जाएगा और किरायेदार को तत्काल फ्लैट खाली करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

20. **लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित नियम**
लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे किरायेदारों को सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र या माता-पिता की जानकारी का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यथा, ऐसी व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाएगी।

21. **फ्लैट नवीनीकरण के कचरे का निष्पादन**
फ्लैट के नवीनीकरण के दौरान उत्पन्न लकड़ी, कंक्रीट या किसी भी प्रकार के अन्य कचरे को सोसाइटी के कॉमन एरिया में फेंकना सख्त रूप से प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे कचरे के उचित निष्पादन की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निवासी की होगी। इस प्रकार की गंदगी या असुविधा के लिए ईएएस आरडब्ल्यूए जिम्मेदार नहीं होगा।

22. **भविष्य के नियमों का अनुपालन**
किरायेदारों और फ्लैट मालिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ईएएस आरडब्ल्यूए द्वारा जारी सभी वर्तमान एवं भविष्य के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। यदि कोई किरायेदार इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे एक सप्ताह के भीतर Society से निकासी का नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं यदि फ्लैट मालिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संबंधित अधिकारियों के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

आज्ञा से
ईएएस आरडब्ल्यूए, सेक्टर 73, नोएडा